

कार्यालय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पीपलखूंट प्रतापगढ़ राजस्थान

खुली निविदा के लिए निविदा की शर्तें व निर्देश

1. निविदादाताओं को निविदा सुचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार तकनीकी बिड को सही तरीके से पूर्ण रूप से भरकर वांछित दस्तावेजों सहित प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर तकनीकी निवेदा कवर में सीलबंद करावें।
2. निविदादाता द्वारा –
 1. निविदा शुल्क 200/- रुपये का (डी.डी./ चेक द्वारा) राजकीय एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल पीपलखूंट प्रतापगढ़ राजस्थान के पक्ष में जमा करना होगा।
 2. धरोहर राशि :- अनुमानित लागत राशि का 2 प्रतिशत (डी.डी./ चेक द्वारा) राजकीय एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल पीपलखूंट प्रतापगढ़ राजस्थान के पक्ष में जमा करना होगा।
3. वित्तीय दरे तकनीकी बिड के साथ वाले प्रपत्र "वित्तीय बिड"में भरी जानी है।
4. तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी तथा असफल निविदादाता की अमानत राशी मांग पर नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
5. निविदा प्रारूप स्याही या टंकण से भरा जावेगा। पैन्सिल से भरी गयी निविदा पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. विधि मान्यता : निविदा दरे वित्तीय बिड को खोले जाने के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य हों।
7. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भी भाग को किसी एजेंसी के लिए नहीं सौपेगा या उप-भाग (सब लैट) पर नहीं देगा।
8. करार व प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit)
 1. सफल विविदादाता को स्वीकृत आदेश के 7 दिन के भीतर 100/- रुपये मूल्य के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। सफल विविदादाता की दर का वार्षिक आंकलन कुल मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि डी.डी./ रेखांकित चेक द्वारा **राजकीय एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल पीपलखूंट प्रतापगढ़ राजस्थान (Account Pay)** के नाम जमा कराई जा सकेगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक जिसको निविदा को स्वीकार किये जाने की सुचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा कराई जावेगी।
 2. निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति राशि के लिये समायोजित किया जा सकेगा।
 3. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहत्र (Forfeit) कर लिया जावेगा –
 - (i)जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
 - (ii)निविदादाता संतोषजनक ढंग से कार्य करने में असफल रहा हो।
 - (iii)प्रतिभूति निक्षेप को समपहत्र (Forfeit) करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्ण नोटिस दिया जावेगा।
 - (iv)इस सम्बन्ध में निविदा कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।
10. करार पत्र को पूर्ण करने का समस्त व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

11 . भुगतान -

1. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
 2. महीने में एक बार बिल लिये जायेंगे एवं बिल के साथ इस कार्यालय द्वारा जारी कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र जो कि संस्थाप्रधान से प्राप्त कर संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसका भुगतान PFMS द्वारा एजेन्सी/ठेकेदार को ऑनलाईन किया जावेगा। विलम्ब से भुगतान पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
 3. विवादास्पद मामलों में निविदादाता को देय राशि का 25 प्रतिशत भुगतान को रोका जाकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
- 12 . निविदादाता द्वारा सेवा प्रदाय में दोषी पाये जाने अथवा किसी भी कार्य में असफल पाये जाने पर संस्थाप्रधान द्वारा उक्त कार्य के लिये वैकल्पिक व्यवस्था (Risk & Cost) की जावेगी, जिसका समस्त अतिरिक्त भार/राशि निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा अर्थात् निविदादाता को होने वाले आगामी बिलों के भुगतान या अमानत राशि से वसूली जावेगी।
 - 13 . निविदादाता की किसी भी शर्त को मानने के लिये विभाग बाध्य नहीं होगा। यदि निविदादाता कोई ऐसी शर्त करता है जो इन शर्तों के विरोधाभासी हो तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा।
 - 14 . किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करेगा
 1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदार विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 2. यदि भागीदारी फर्म, रजिस्टर ऑफ फर्म्स के पात्र पंजीकृत हो तो पंजीकरण संख्या एवं उसकी प्रमाणित प्रति।
 3. एकमात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पत्ता, मोबाईल नम्बर।
 4. कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्टर के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
 - 15 . यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलों को उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को भेजा जावेगा। जो कि विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटर) के रूप में सम्बद्ध होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
 - 16 . समस्त विधि कार्यवाही का न्यायक्षेत्र जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) होगा।
 - 17 . किसी भी निविदा दरो को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति का होगा।
 - 18 . निविदाकार की ओर से लगाई गयी कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
 - 19 . अनुबन्ध की अवधि निविदा स्वीकार करने की दिनांक से 12 माह के लिये मान्य होगी। कार्यदिश में अंकित दिन और अपेक्षित निर्दिष्ट स्थानों पर कार्य उपलब्ध कराना होगा।
 20. यदि निविदादाता के कर्मचारी कार्य करने के दौरान विद्यालय की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता हैं। तो उसकी वसूली ठेकेदार को देय भुगतान / प्रतिभूति राशि में से की जावेगी।
 21. समय-समय पर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की निविदादाता को पालना करनी होगी।
 22. ठेका श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 एवं अन्य अधिनियमों की पालना की समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित एजेन्सी की होगी।
 23. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर जारी निर्देश/परिपत्र/नियम इस निविदा एवं अनुबन्ध पर प्रभावी होंगे।
 24. समान दरें होने पर अनुभवी ठेकेदार को वरीयता दी जावेगी।
 25. यथा सम्भव स्थानीय लोगों को कार्य पर नियोजित करना होगा।
 26. स्थानीय विद्यालय में सामान लाने या ले जाने का किराया निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा ।
 27. निविदादाता का जहां व्यवसाय स्थित है, यदि प्रचलित बिक्रीकर अधिनियम GST/VAT/TIN के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह निविदा में भाग लेने का पात्र नहीं है। बिक्रीकर पंजीयन संख्या, टिन नं. का उल्लेख किया जाना चाहिए | इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

28. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारन बताये सम्पूर्ण निविदा अस्वीकार करने का अधिकार होंगा ।
29. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरे 12 माह अथवा आगामी आदेश तक मान्य रहेंगी । फर्म अपनी प्रस्तुत दरों पर सामान आपूर्ति के लिए बाध्य रहेगी ।
30. निविदादाता द्वारा दी गयी दरों के स्वीकृत होने पर उन दरों पर आपूर्ति की गयी सामग्री का भुगतान करने हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करने के पश्चात् नियमानुसार बिल की जांच कर कटौती योग्य कर अथवा अन्य कटौती योग्य कुल राशि काटने के पश्चात् निविदादाता को प्रदान किया जायेगा ।
- ताजा हरी सब्जियां, फल ,दूध ,धुलाई व्यवस्था हेतु निविदा की विशिष्ट शर्तें :-
1. सब्जियां व फल वजन के अनुसार ली जाएगी तथा खराब सब्जी व फल की मात्रा को कुल वजन में से कम कर दिया जायेगा ।
 2. खराब सामान सप्लाई करने पर खराब सामान का शुल्क काट लिया जायेगा ।
 3. लाने व ले जाने का कोई अतिरिक्त किराया नहीं दिया जायेगा तथा समय पर सामग्री पहुँचाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।
 4. दूध की समय-समय पर जाँच की जावेगी तथा दूध के खराब होने या फट जाने पर उतनी ही मात्रा बिल में से कम कर दी जाएगी ।
 5. धुलाई व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा ।
 6. छात्र संख्या अनुसार ही धुलाई व्यवस्था का कार्यदिश दिया जायेगा, छात्रावास अधीक्षक से प्राप्त निर्देशानुसार ही धुलाई व्यवस्था का कार्य किया जायेगा ।
 7. ताजा हरी सब्जियां, फल ,दूध हॉस्टल में छात्रों की उपस्थिति के अनुसार मंगवाई जाएगी । ग्रीष्म -अवकाश ,शरद कालीन अवकाश एवं शीतकालीन -अवकाश के दौरान विद्यालय बंद रहेगा ।
 8. कार्यदिश की पालना तय समय में करनी होंगी ।
 9. कपडे मैले या कम होने पर राशि काट ली जायेगी ।
 10. शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम :-

मय सील

तकनीकी-बिड

1. कार्य का नाम :-.....
2. धरोहर राशि :- अनुमानित लागत राशि का 2 प्रतिशत (डी.डी./ चेक द्वारा):.....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संवेदक का नाम, डाक का पता, मोबाइल नं.

4. निविदादाता द्वारा संलग्न –

- i. धरोहर राशि डी.डी./बैंकर्स चेक नं..... राशि.....
दिनांक..... बैंक का नाम.....
- ii. निविदा शुल्क डी.डी./बैंकर्स चेक नं..... राशि.....
दिनांक..... बैंक का नाम

5. हम प्राचार्य एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पीपलखूंट प्रतापगढ़ राजस्थान द्वारा जारी खुली निविदा क्रमांक **F.No: / EMRS/PKT/TENDERS/2025 -26 / 201** में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्नों में दी गयी अतिरिक्त शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर किये हैं |

6. हम स्वीकार करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज/ प्रमाण – पत्रों के आभाव में हमारी निविदा निरस्त करने योग्य है |

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्रों आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रं. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	अनुलग्नक क्रमांक
1.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
	आयकर (PAN No.)				
	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत				

7. निविदादाता का स्थानीय कार्यालय का पता (स्थानीय कार्यालय होने का प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेज की प्रति जैसे शॉप लाइसेंस, फूड लाइसेंस, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की छाया प्रति (कोई एक):

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम :-

मो:

वित्तीय - बिड

1. कार्य का नाम :-.....
2. धरोहर राशि :- अनुमानित लागत राशि का 2 प्रतिशत (डी.डी. / चेक द्वारा) :
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संवेदक का नाम, डाक का पता, मोबाइल नं.
.....
.....
4. मेरी/हमारी फर्म द्वारा निम्न सामग्री/सामान/कार्य की दरें निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	माँग विवरण	दर	टिपणी
1.	पानी के टैंकर	आवश्यकता अनुसार	प्रति टैंकर दर राशि :	
2.	धुलाई (बेडिंग आइटम्स)एव प्रेस	2 बेडशीट(प्रति माह)	प्रति नग दर :	
		2 तकिया कवर	प्रति नग दर :	
		1 खैस (प्रति माह)	प्रति नग दर :	
		1 कम्बल (हर तीन महीने)	प्रति नग दर :	
3.	छात्र हेयर कटिंग	प्रति माह	प्रति छात्र दर :	
4.	दूध	प्रतिदिन (छात्र उपस्थिति अनुसार)	प्रति लीटर दर :	
6	ताजा हरी सब्जियां एवं फल (मौसम के अनुसार उपलब्ध)	300 छात्र अनुसार	प्रति KG दर (नीचे दी गई टेबल में भरें)	

S.No.	Name of the items	Rate Per kg.	Remark	S.No.	Name of the items	Rate Per kg.	Remarks
01.	लौकी			31	गुवारफली		
02.	हरा टमाटर			32	मटरफली		
03.	लाल टमाटर			33	कद्दू		
04.	भिण्डी			34	अरबी		
05.	हरी मिर्ची			35	हरा धनियां		
06.	बैंगन			36	ककड़ी बरसाती		
07.	पत्तागोबी			37	तरककड़ी		
08.	फूलगोबी			38	हरे प्याज		
09.	गाजर			39	प्याज सूखे		
10.	नीबू			40	लहसून		
11.	टीन्सी			41	अमरूद		
12.	पालक			42	केला		
13.	अदरक			43	सेव		
14.	आलू			44	संतरा		
15.	हरी मैथी			45	अंगूर		
16.	मोगरी			46	चीकू		
17.	टिण्डोरी			47	पपीता		
18.	काचरा			48	नाशपती		
19.	शिमला मिर्ची			49	आम दशहरी		
20.	सेम फली			50	तरबुज		
21.	रतालु			51	अनार		
22.	फ़ोजन मटर			52	पेमली बेर		

23	कच्ची हल्दी			53	पिण्ड खजूर		
24	कच्ची केरी			54	पाईनेपल		
25	पनीर			55	आलूबुखारा		
26	हरे चने(छिले हुये)			56	खरबुजा		
27	पुदीना						
28	मूली						
29	तुरई						
30	चवलाफली						

नोट: हर तीन माह में ताजा हरी सब्जियां एवं फल की संशोधित दरें विद्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी .

नोट :-

- 1) निविदा दरें स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में स्याही/टंकण से भरी हुई होनी चाहिए |
- 2) पेन्सिल से भरी हुई निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, अर्थात् इस प्रकार की निविदा स्वीकार्य नहीं होंगी |

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम :-.....

मो. :